

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

दिल्ली तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा सिटी-201308, गौतमबुद्ध नगर (उप्र)।

वाई.ई.आई.डी.ए./सी.ई.ओ./838/2021
दिनांक: 22 फरवरी, 2021

कार्यालय आदेश

आज दिनांक 22.02.2021 को प्राधिकरण की आवासीय योजना 2009 (1) के आवंटी श्री माहित चन्द्रा, श्रीमती निधी चन्द्रा, श्री अदिति गर्ग, श्री संजीव कुलश्रेष्ठा आदि मुझसे मिले। आवंटियों द्वारा अनुरोध किया गया कि उन्हें Lease Dead करावाने के लिए प्राधिकरण द्वारा Chack list जारी की गई है जिसके अनुसार 31 मार्च, 2021, शुल्करहित, अन्तिम तिथि नियत की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में भी परियोजना विभाग एवं सम्पत्ति विभाग को निर्देशित किया गया था कि भूखण्ड पर जरूरी अवस्थापना सुविधाएं विकसित किये बिना किसी भी आवंटी के Lease Dead के लिए Chack list जारी न की जाए। अतः इस सम्बन्ध में पुनः सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि भूमि पर वास्तविक कब्जा एवं नियमानुसार जरूरी अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही Lease Plan जारी किए जायें। तदानुसार प्राधिकरण की आवासीय योजना 2009 (1) के उपरोक्त आवंटियों एवं अन्य सभी आवंटियों, जिनको पूर्व में प्राधिकरण द्वारा Chack List जारी की गई है तथा जिनकी Lease Dead की अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है के प्रकरणों में आवंटियों को Lease Dead हेतु दिनांक 30 जून, 2021 तक का निशुल्क समय विस्तरण प्रदान किया जाता है।

(डा० अरुणवीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम०/आर०)।
2. विशेष कार्याधिकारी (एस.बी./एस.जी.)।
3. महाप्रबन्धक (परियोजना/नियोजन/वित्त)।
4. विशेष कार्याधिकारी (एम.)/सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)/प्रबन्धक (सम्पत्ति)।
5. गार्ड फाईल हेतु।

22.2.21
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)